भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3103
दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

कामकाजी बच्चे

3103. श्री के॰ षणमुग सुंदरमः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पूरे देश में 14 वर्ष से कम उम्र के कई बच्चे आज भी विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और 5 से 14 वर्ष के आयु-समूह के 25.96 करोड़ बच्चों में से 1.01 करोड़ बच्चे अपने परिवारों की आजीविका के लिए काम कर रहे हैं;
(ख) क्या सरकार के पास बच्चों के रोजगार के संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और धर्म-वार कोई आंकड़े हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा बाल मजदूरी को रोकने के लिए समाज में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का बच्चों को विशेष संरक्षण प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 39 की तर्ज पर आई॰पी॰सी॰ में सख्त दंडात्मक उपबंध करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ड.) : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 2011 की जनगणना के हिसाब से देश भर में राज्य वार 5-14 वर्ष आयु वर्ग के मुख्य श्रमिकों की संख्या 43.53 लाख है। 5-14 वर्ष आयु वर्ग के मुख्य श्रमिकों की संख्या का राज्य वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

भारत सरकार देश से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम,1986 को संशोधित किया है और बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 2016 को लागू किया है जो देश भर में 1.9.2016 से प्रभावी है। संशोधित अधिनियम के प्रावधानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का किसी भी व्यवसाय और कार्य में काम करने पर पूरी तरह प्रतिबंध है और 14 से 18 वर्ष के उम्र के किशोरों से खतरनाक कार्यों में काम लेने पर रोक है। संशोधित अधिनियम में अधिनियम में उल्लंघन करने वाले नियोजकों को सख्त सजा देने और अपराध को संज्ञेय बनाने का प्रावधान किया गया है।

अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि जो भी बच्चों को काम पर रखेगा या अधिनियम के उल्लंघन कर बच्चों को काम करने की अनुमति देगा उसे कम से कम छह महीने की सजा होगी जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या उसे कम से कम 20 हजार रुपए का जुर्माना होगा जिसे पचास रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या उसे दोनों हो सकता है।

इसके साथ ही किशोरों को काम पर रखने वाले या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर किशोरों को काम करने की अनुमति देने वाले को कम से कम छह महीने की सजा होगी जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या उसे कम से कम 20 हजार रुपए का जुर्माना होगा जिसे पचास रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या उसे दोनों हो सकता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम को क्रियान्वित कर रहा है। एनसीएलपी के अंतर्गत 9-14 साल के बच्चों का बचाव और उन्हें काम से हटाकर एनसीएलपी के विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में पंजीकृत किया जाता है, जहां उन्हें मुख्यधारा की औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पहले ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मिड-डे मील,स्टाइपेंड, स्वास्थ्य सेवाएं आदि प्रदान की जाती है। 5-8 साल के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के समन्वय से सीधे औपचारिक शिक्षा प्रणाली के साथ संबद्ध किया जाता है। बाल श्रम अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और एनसीएलपी स्कीम के सुगम क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पेंसिल/PENCiL (बिना बाल श्रम के प्रभावी प्रवर्तन का मंच) पोर्टल विकसित किया गया है ताकि बेहतर निगरानी और पारदर्शिता के साथ कार्य निष्पादन के कार्यन्वयन माध्यम से एनसीएलपी को सफल बनाया जा सके।

किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनिम, 2015 की धारा 2(14)(iii) के अनुसार लागू श्रम कानूनों के उल्लंघन में अगर कोई बच्चा काम करता हुआ या भीख मांगता हुआ, या सड़कों पर रहता हुआ पाया गया तो वह अन्य बच्चों की तरह ' देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता' वाले बच्चों में शामिल होगा। जेजे अधिनियम की धारा 79 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई भी प्रकट रूप से पर बच्चे को काम पर रखेगा या उसे नियोजन के उद्देश्य से बंधुवा बना कर रखेगा या उसकी कमाई को रोक के रखेगा या उसकी ऐसी आमदनी को अपने काम में लगाएगा उसे सख्त कारावास की सजा हो सकती है, जो पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है और उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अधिनियम को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में पाए गए बच्चों की मदद के लिए केन्द्र की प्रायोजित बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) स्कीम (पूर्ववर्ती समेकित बाल संरक्षण स्कीम) का क्रियान्वयन कर रहा है। स्कीम को क्रियान्वित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की है। अन्य बातों के अलावा यह स्कीम राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वयं या स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर बाल देखरेख संस्थानों की स्थापना करने का प्रावधान करती है। स्कीम गोद लेने, पालक देखरेख या प्रायोजन जैसे मामलों में जहां मदद दी जा रही है वहां गैर–संस्थानिक देखरेख का भी प्रावधान करती है। संकट कालीन बच्चों के लिए स्कीम 24×7 पहुंच हेल्पलाइन सेवा का समर्थन करती है। यह सेवा एक समर्पित मुफ्त 1098 पर उपलब्ध है, जिसे देश भर में कहीं से भी संकट के समय कोई भी बच्चा या उसके बदले में कोई भी वयस्क एक्सेस कर सकता है।

****

अनुलग्नक

जनगणना 2011 के अनुसार 5-14 वर्ष की आयु के मुख्य श्रमिकों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*5-14* वर्ष की आयु के मुख्य श्रमिकों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार	999
2.	आंध्र प्रदेश	404851
3.	अरुणाचल प्रदेश	5766
4.	असम	99512
5.	बिहार	451590
6.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	3135
7.	छत्तीसगढ़	63884
8.	दादर और नगर हवेली	1054
9.	दमन और दीव	774
10.	दिल्ली	26473
11.	गोवा	6920
12.	गुजरात	250318
13.	हरियाणा	53492
14.	हिमाचल प्रदेश	15001
15.	जम्मू और कश्मीर	25528
16.	झारखंड	90996
17.	कर्नाटक	249432
18.	केरल	21757
19.	लक्षद्वीप	28
20.	मध्य प्रदेश	286310
21.	महाराष्ट्र	496916
22.	मणिपुर	11805
23.	मेघालय	18839
24.	मिजोरम	2793
25.	नागालैंड	11062
26.	ओडिशा	92087
27.	पुद्दुचेरी	1421
28.	पंजाब	90353
29.	राजस्थान	252338
30.	सिक्किम	2704
31.	तमिलनाडु	151437
32.	त्रिपुरा	4998
33.	उत्तर प्रदेश	896301
34.	उत्तराखंड	28098
35.	पश्चिम बंगाल	234275
	कुल	**4353247**